

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या-6/वि0पत्रा0-24-77/2023

पटना, दिनांक:-

श्रीमती स्नेहा वर्मा, राज्य कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), किशनगंज अंचल, किशनगंज को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 01.09.2026 से 20.09.2026 तक कुल 20 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्रीमती वर्मा के अवकाश लेखा में (47-20=27) सताईस दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-6/वि0पत्रा0-24-77/2023 3581 पटना, दिनांक:- 14/09/26

प्रतिलिपि :- वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, किशनगंज/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/अंचल प्रभारी, किशनगंज अंचल को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित की एच0आर0एम0एस0 पोर्टल पर उक्त अवकाश के पश्चात् शेष आदेयता की अद्यतन प्रविष्टि कर लेंगे/ एच0 आर0 एम0 एस0 (एडमीन), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/एच0आर0 मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/वरीय प्रभारी, लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/ श्रीमती स्नेहा वर्मा, राज्य कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), किशनगंज अंचल, किशनगंज को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन अवकाश उपभोग के उपरान्त विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।